प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 25.02.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी की अध्यक्षता में "थाना समाधान दिवस" का आयोजन

आज दिनांक 25.02.2023 को माह के चतुर्थ शनिवार को जनपद के प्रत्येक थाना स्तर पर “थाना समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना कोतवाली सदर, थाना ईसानगर व थाना धौरहरा पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा थाना ईसानगर व थाना धौरहरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 25.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना ईसानगर व थाना धौरहरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स/अभिलेखों के व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के व्यवस्थित रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए एवं प्रत्येक जनशिकायत का फीडबैक स्वयं प्रभारी निरीक्षक को करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त पप्पू उर्फ खुर्शीद पुत्र गुड्डू को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.02.2023 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू बरामद करके 01 नफर अभियुक्त पप्पू उर्फ खुर्शीद पुत्र गुड्डू निवासी मोहल्ला मोलवीय गंज कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी को बरबर मोहम्मदी रोड बहद कस्बा बरबर से गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 73/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>
पप्पू उर्फ खुर्शीद पुत्र गुड्डू निवासी मोहल्ला मोलवीय गंज कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

<u>बरामदगी का विवरण-</u>
01 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 नवीन कुमार द्विवेदी, थाना पसगवां
2. का0 कपिल कुमार
3. का0 अभिषेक पाण्डेय

<u>थाना मितौली पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त सरनाम सिंह उर्फ कल्लू पुत्र नेपाल सिंह को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.02.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 494/22 धारा 380/457/411 भादवि0 के वांछित अभियुक्त सरनाम सिहं उर्फ कल्लू पुत्र नेपाल सिंह नि0 दाऊदापुर थाना नीमगांव खीरी को शिवाला तिराहा से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद देशी कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 88/23 धार 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
सरनाम सिहं उर्फ कल्लू पुत्र नेपाल सिंह नि0 दाऊदापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

<u>बरामदगी-</u>
01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर
01 अदद अवैध कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 आदित्य प्रताप सिंह, थाना मितौली
2. का0 संजीव कुमार
3. का0 नवी आलम

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त धर्मेश पुत्र छोटकन्ने को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.02.2023 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 489/22 धारा 376/323/506/452 भादवि0 में वांछित अभियुक्त धर्मेश पुत्र छोटकन्ने नि0 ग्राम खमरिया थाना मितौली खीरी को ग्राम बबौना मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेश पुत्र छोटकन्ने नि0 ग्राम खमरिया थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवकुमार, थाना मितौली
2. का0 रेहान अली
3. का0 विपिन चौधरी

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आज दिनांक 25.02.23 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के पर्यवेक्षण में, प्रभारी यातायात खीरी जयप्रकाश यादव व यातायात पुलिस की टीम द्वारा शहर में जागरूकता अभियान चलाकर वाहन चालकों व आम जनमानस को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया ! जनपद में यातायात व्यवस्था के सुलभ संचालन हेतु लागू डायवर्जन, वनवे का पालन न करने व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो वाहन (चार पहिया) को यातायात पुलिस की क्रेन द्वारा टोचन कर अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कराते हुए यातायात कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया ! यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाकर कुल 130 वाहनों का चालान कर कुल 08 वाहन सीज किए गए व ₹165000/- शमन शुल्क अधिरोपित किया गया !

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, नेपाल से तस्करी कर लाये जा रहे ट्रैक्टर को बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.02.2023 को क्षेत्राधिकारी पलिया महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा भारत नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी, संदिग्ध वाहन के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत ग्राम बसही भूदान से रामकिशुन पुत्र बंसत नि0 ग्राम बसही भूदान थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी जो एक ट्रैक्टर SWARAJ – 735 , रंग नीला- सफेद, मॉडल 1998, ENGINE NO – 39.1306/98D1526, CHASIS NO – 98D036700870 PUNJAB TRACTORS LIMITED को चालक द्वारा नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था। चेंक किये जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने तथा कोई संतोषजनक जबाव न देने के कारण कब्जा पुलिस मे लिया गया। उक्त बरामद ट्रैक्टर को सीमा शुल्क अधिकारी महोदय पलिया, जनपद खीरी के यहाँ वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 आशीष सहरावत थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2. हे0का0 जितेन्द्र गौड थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
3. का0 अंचल वर्मा थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

<u>आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों होली व शब-ए-बरात के दृष्टिगत आज दिनांक 25.02.2023 को जनपद के थाना ईसानगर, थाना सम्पूर्णानगर, थाना भीरा, थाना शारदानगर, थाना फरधान सहित जनपद के विभिन्न थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। उक्त मीटिंग के दौरान क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति ,ग्राम प्रधान ,भूतपूर्व ग्रामप्रधान ,क्षेत्र पंचायत सदस्य ,जिला पंचायत सदस्य व सभी धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। इस दौरान सभी से आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारा, समरसता, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये जाने की अपील की गई। साथ ही किसी भी प्रकार के अफवाह एवं झूठी व भ्रामक खबरों को प्रचारित/प्रसारित नहीं करने तथा किसी भी प्रकार की घटना के संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ0सं0 174/23 धारा 406/411 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. अनुभव गुप्ता, 2. धीरज गुप्ता पुत्रगण प्रकाश निवासीगण रकेहटी थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 2409/18 धारा 60 Ex Act में वारण्टी अभियुक्त राकेश पुत्र बृजमोहन निवासी बुन्दापुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 140 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **140 लीटर** अवैध कच्ची शराब व **04 शराब भट्टी** बरामद कर **11 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **10 अभियोग** पंजीकृत किए गए।